उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुकवार, 27 कार्तिक, शक संवत्, 1938
(दिनांक : 18 नवम्बर, 2016)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।

2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "ख")

3. निधन के निदेश।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2016 के प्रथम सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।

6. पेयजल मंत्री, उत्तर प्रदेश जल, संभरण, सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-50(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल संस्थान के वित्तीय वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 (08 वर्षो) तक के वार्षिक लेखे/प्रतिवेदन (बैलेंसशीट) को सदन के पटल पर रखेंगे।

7. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जिलों के ग्रामीण क्षेत्र से अच्छी शिक्षा के नाम से हो रहे पलायन को रोकने के लिये निशुल्क आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तर्ज पर न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के तहसील काण्डा के ग्राम पंचायत महरुड़ी के तोक दोसादा, ककडथल व चतुरानी, धूरा तथा ग्राम पंचायत लमजिगड़ा के तोक छिपछिया व सुलडेरा को राजस्व ग्राम बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के राजकीय इण्टर कालेज सनगाड़ एवं राजकीय इण्टर कालेज भन्तोला में एन0सी0सी0 पाठ्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के तहसील काण्डा रेंज कार्यालय धरमघर के अन्तर्गत वन पंचायत बास्ती, सनगाड, सिमगढ़ी, मझेड़ा, गौखुरी, पठक्यूडा, लमजिगडा, महरूडी, पातल, बडगांव, सिलंगार, चौनाला, स्यॉकोट, जलमानी, उत्तरदुग, भुलगांव, जाखनी, मजगांव, भन्तोला, शेरी व झांकरा कुल 21 वन पंचायत जो लगभग 15 कि0मी0 में है को जायका योजना में चयनित करने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर की पृथक साधन सहकारी संघ की स्वीकृति तथा जनपद बागेश्वर में नये सिरे से सहकारी समितियों का परिसीमन कर नये समितियों के गठन के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत तहसील दुगनाकुरी के न्याय पंचायत दयाली कुरोली के ग्राम पंचायत दयाली कुरोली, पपोली व जारती को मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के दुर्गम क्षेत्र कमेडीदेवी स्थान में क्षेत्रीय लोगों के पुस्तैनी परम्परागत हस्तशिल्प प्रशिक्षण संस्थान एवं क्रय विक्रय केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के दूरस्थ क्षेत्र न्याय पंचायत सिमगढ़ी में स्थित जूनियर हाईस्कूल (25 वर्ष पुराना) को उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट, तहसील काण्डा, न्याय पंचायत सिमगढ़ी के ग्राम पंचायत महरुड़ी में टोटिया स्टेडियम, ग्राम पंचायत भन्तोला में फेणीनाग स्टेडियम तथा ग्राम पंचायत पठक्यूड़ा के स्यांकोट में मॉ जगदम्बा स्टेडियम में खेल मैदानों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट के तहसील काण्डा में राजकीय इण्टर कालेज स्यांकोट में एन0सी0सी0 की स्वीकृति के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

17. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत तहसील काण्डा के ग्राम पंचायत महरूडी में स्थित कस्तूरा मृग अनुसंधान केन्द्र (फार्म) को वन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिलाबागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

18. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के दूरस्थ क्षेत्र न्याय पंचायत सिमगढ़ी के ग्राम पंचायत मझेड़ा (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान) के सम्बन्ध में" श्री मनोज कुमार, ग्राम मझेडा पो0 सिमगढी, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

19. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

20. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

21. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

22. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ग"**)

23. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

24. गृह मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

25. गृह मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

26. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

27. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

28. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

29. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

30. पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

31. पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

32. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

33. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

34. राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

35. राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

36. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

37. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

38. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

39. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

40. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

41. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

42. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

43. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

44. न्याय एवं विधि परामर्शी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

45. न्याय एवं विधि परामर्शी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

46. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

47. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

48. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

49. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

50. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

51. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

52. परिवहन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

53. परिवहन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

54. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

55. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

56. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

57. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

58. शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

59. शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

60. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

61. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

62. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

63. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

64. वित्तीय वर्ष 2016-2017 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत **रू0 58000 हजार (पॉच करोड़ अस्सी लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(2) विधि एवं न्याय मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 87057 हजार (आठ करोड़ सत्तर लाख सत्तावन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीयं वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(3) राजस्व मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 2042334 हजार (दो सौ चार करोड़ तेइस लाख चौंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) वित्त मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत **रू0 3082195 हजार (तीन सौ आठ करोड़ इक्कीस लाख पन्चानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) गृह मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रू0 179554 हजार (सत्रह करोड़ पन्चानवे लाख चौवन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(6) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रू0 1531963 हजार (एक सौ तिरपन करोड़ उन्नीस लाख तिरसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रू0 517833 हजार (इक्यावन करोड़ अठ्हत्तर लाख तैंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रू0 1835421 हजार (एक सौ तिरासी करोड़ चौवन लाख इक्कीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत **रू0 300000 हजार (तीस करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत **रू0 2018777 हजार (दो सौ एक करोड़ सत्तासी लाख सतहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(11) श्रम मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत **रू0 57093 हजार (पॉच करोड़ सत्तर लाख तिरानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(12) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रू0 761700 हजार (छिहत्तर करोड़ सत्रह लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(13) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत **रू0 20000 हजार (दो करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(14) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **रू0 51781 हजार (पॉच करोड़ सत्रह लाख इक्यासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(15) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रू0 28009 हजार (दो करोड़ अस्सी लाख नौ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(16) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-21 उर्जा के अन्तर्गत **रू0 20000 हजार (दो करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(17) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत **रू0 809600 हजार (अस्सी करोड़ छियानवे लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(18) उद्योग मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत रू0 478460 हजार **(सैंतालीस करोड़ चौरासी लाख साठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(19) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत **रू0 111000 हजार (ग्यारह करोड़ दस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(20) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत **रू0 300360 हजार (तीस करोड़ तीन लाख साठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(21) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत **रू0 22300 हजार (दो करोड़ तेइस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(22) वन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत **रू0 120000 हजार (बारह करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(23) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रू0 259825 हजार (पच्चीस करोड़ अठ्ठानवे लाख पच्चीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(24) उद्यान मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत **रू0 65400 हजार (छः करोड़ चौवन लाख)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(25) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 144293 हजार (चौदह करोड़ बयालिस लाख तिरानवे हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(26) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 85965 हजार (आठ करोड़ उनसठ लाख पैंसठ हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

65. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2016-2017 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

66. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2016-2017 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।

67. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2016-2017 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

68. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2016-2017 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

69. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योंगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त को सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।"

70. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गो के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।"

71. श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जायें।'' **(15 मिनट)**

72. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जाये।'' (15 **मिनट**)

73. श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के विकेन्द्रीयकृत विकास हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये।'' (15 **मिनट**)

74. श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी पर चर्चा जारी :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में टनकपुर स्थित 'मां पूर्णागिरी धाम' हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं प्रदेश की राजधानी देहरादून से रेलवे लाईन का निर्माण, क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति एवं जन सामान्य के हित में तथा पर्यटन के दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।''(15 **मिनट**)

75. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।'' (15 **मिनट**)

76. श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में विकास खण्डों की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, विकास खण्डों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।'' (15 **मिनट**)

77. श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरणः-

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि उत्तराखण्ड को देवभूमि के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने हेतु जनहित व प्रदेश सरकार शराब बन्द किये जाने पर विचार करें।''

78. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरणः-

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं शहीदों के आकांक्षाओं के अनुरूप गैरसैंण, जनपद चमोली को उत्तराखण्ड राज्य की स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।"

79. श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।" **(15 मिनट)**

80. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यो के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/ मेयर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।" **(15 मिनट)**

81. श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एंव गन्ना मूल्य के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय, जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।" **(15 मिनट)**

82. श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों में छोटे-छोटे उद्योगों को आवंटित भूमि निर्धारित शर्तो पर लीज में दी गयी थी, को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया जाय।" **(15 मिनट)**

83. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें। " **(15 मिनट)**

84. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।" **(15 मिनट)**

85. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।" **(15 मिनट)**

86. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"प्रदेश में आयी भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय।" **(15 मिनट)**

87. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाये गये ट्रस्ट/सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/बिजली/सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।" **(30 मिनट)**

88. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

गैरसैंण (भराड़ीसैंण)
दिनांक : 17 नवम्बर, 2016

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

शुक्रवार, 27 कार्तिक, शक संवत्, 1938

(दिनांक : 18 नवम्बर, 2016)

नत्थी 'क'

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत द्वितीय सत्र, 2016 के प्रथम शुक्रवार के स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री मदन कौशिक
03.02.2016

*1. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त** — औद्योगिक विकास

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या राज्य में स्थापित निगमों में कार्यरत कर्मचारियों तथा राज्य के कर्मचारियों में समान पद समान वेतन की एक रूपता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस दिशा में कोई नीति बनाकर कार्यवाही करेगी ?

श्री पुष्कर सिंह धामी
06.02.2016

*2. **विस्तीर्णता एवं कई विभागों से संबंधित होने के आधार पर निरस्त** — नियोजन

क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश भर में पलायन से कितने गांव खाली हो गये हैं तथा सरकार द्वारा गावों से पलायन को रोकने के लिए एवं इन गावों में रह रहे केवल एक दो परिवारों को जंगली जानवरों के खौफ से सुरक्षा हेतु कोई प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशन सिंह चुफाल
06.02.2016

*3. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त** — श्रम

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई नीति बनी है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2013–14 फरवरी, से वर्ष 2014 तक कुल कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नत्थी 'ख'

<u>तारांकित प्रश्न</u>

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 01.09.2016	*01. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पीतल आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक आस्थान बनाये जाने की योजना है? यदि नहीं तो इस हेतु कहॉ–कहॉ और कितनी भूमि की व्यवस्था की गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बताऐगें कि वर्तमान समय तक कितने उद्योगों ने आस्थान में आवेदन किये हैं? अथवा सहमति व्यक्त की है तथा तद्सम्बन्धित पूर्ण विवरण क्या है? क्या सरकार इसमें स्थानीय लोगों को भी भागीदार बनायेगी? यदि नहीं तो क्यों ?	औद्योगिक विकास
श्री पुष्कर सिंह धामी 05.09.2016	*02. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार प्रस्तावित कल्याणी नदी को चैनेलाईज कर लगभग 50 एकड़ भूमि प्राप्त कर सिटी पार्क की स्थापना की जा चुकी है? यदि हॉ, तो स्थापित की जा रही सिटी पार्क की अद्यतन स्थिति क्या हैं तथा इस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक कितनी धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है? यदि नही, तो अभी तक सिटी पार्क की स्थापना न किये जाने के क्या कारण हैं?	औद्योगिक विकास
श्री पुष्कर सिंह धामी 05.09.2016	*03. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टैक्सटाईल पॉलिसी की स्वीकृति के पश्चात् काशीपुर एवं जसपुर में टैक्सटाईल पार्क की स्थापना की जा चुकी है? यदि हॉ, तो उक्त पार्क की स्थापना में अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा कब–कब कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है? यदि नहीं? तो टैक्सटाईल पार्क की अभी तक स्थापना न हो पाने के क्या कारण हैं?	औद्योगिक विकास
श्री संजय गुप्ता 14.09.2016	*04. क्या वित्त मंत्री अवगत है कि हरिद्वार जिले की लक्सर विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश गांव भारी वर्षा के कारण डूब गये है और किसानों की खड़ी फसल नष्ट हो गयी है? क्या सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको 5 लाख रूपये तक ऋण माफ करने की कोई योजना बना रही है? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वित्त
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 10.10.2016	*05. **आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त** क्या सेवायोजन मंत्री अवगत है कि प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में दर्ज शिक्षित बेरोजगारों को वर्ष 2012 से प्रवृत्त रोजगार सह कौशल विकास भत्ता दिया जाना तय था जिसमें प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार को प्रतिमाह भत्ता दिये जाने की बात कही गयी थी? यदि हॉ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना के प्रारम्भ होने से आज वर्तमान तक कुल कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सह कौशल विकास भत्ता दिया गया है तथा उसका जिलेवार पूर्ण विवरण क्या है? क्या सरकार रोजगार सह कौशल विकास भत्ता के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने पर विचार करेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सेवायोजन

नत्थी–"ग"

कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 17 नवम्बर, 2016 की बैठक में दिनांकं 18 नवम्बर, 2016 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नवत रखे जाने की सिफारिश की है :–

नवम्बर, 2016

18 शुक्रवार

(1)औपचारिक कार्य

(1)विधायी कार्य।

1.उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

2. सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । **(15मिनट)**

3. भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

4. उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । **(15मिनट)**

5. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । **(15मिनट)**

6. उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

7. उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

8. श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

9. उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतक परिसीमा विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

10.उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

11.उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**